न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 195/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
माधो सिह पुत्र हरदेवसिह जाति बावरी निवासी टुंकडा तहसील जैतारण जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–6–2016 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2013 अनवान माधोसिह बनाम तहसीलदार जैतारण मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री ए.के.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टुंकडा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 216 मे 20 बीघा किस्म गै.मु.भाकर भूमि का आवंटन अपीलांट को वन विकास के लिए आवंटित की गई तथा अपीलांट के पक्ष मे किये गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी का म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4–8–88 स्वीकृत हुआ । अपीलाट ने उक्त आवंटित भूमि पर निजी वन विकास हेतु सेकडो पोधे लगाये तथा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल व पानी का होद निर्माण करवाया तथा आवंटित भूमि के चारो ओर खाई निर्माण करवाया तथा आवंटित भूमि को समतल करवाया जिसमे अपीलांट के करीब 4–5 लाख रूपये खर्च हुए तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा था तथा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने बाबत राज्य सरकार से कोई नोटिस आदि प्राप्त नही हुआ । परंतु नामांतरकरण संख्या 368 के जरिये अपीलांट के नाम गैर खातेदारी के रूप मे दर्ज भूमि को तहसीलदार जैतारण के आदेश संख्या राजस्व/90/239 दिनांक 15–3–97 के द्वारा आवंटन निरस्त करने के नोट के आधार पर उक्त आवंटित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दी । उक्त म्युटेशन संख्या 368 ग्रान टुंकडा की जानकारी अपीलांट को होने पर उसने उक्त म्युटेशन संख्या 368 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को खारीज कर दिया जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम टुंकडा क खसरा नंबर 216 मे निजी वन विकास हेतु अपीलांट को 20

बीघा किस्म गे0मु0भाकर भूमि विधिक प्रकिया अंपनाते हुए उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आवंटन नियम 12 के तहत आंवटित की । अपीलांट ने उक्त आवंटित भूमि मे वृक्षारोपण करवाया, कुंआ खुदवाया, भूमि सुधार करवाया तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा था तथा अपीलांट को उक्त भूमि पर से बेदखल करने बाबत कोई नोटिस आज दिन तक राज्य सरकार की ओर से नही दिया गया था । वकील अपीलांट ने अपनी बहस एवं अपीलाधीन भूमि पर कब्जा बाबत दस्तावेजात, फोंटोज आदि इस न्यायालय मे दिनांक 24–8–18 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर इन दस्तावेजो को रेकर्ड पर लेते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड मे गैर खातेदार के रूप मे दर्ज थी जिसे नामांतरकरण संख्या 368 के जरिये तहसीलदार जैतारण के आदेश संख्या राजस्व/90/239 दिनांक 15–3–97 के द्वारा आवंटन निरस्त करने के नोट के आधार पर अपीलांट को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आवंटित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अलोटमेंट ऑफ अनकल्चरेबल वेस्ट लेण्ड फोर प्राईवेट फॉरेस्ट नियम 1968 के नियम 18 के तहत आवंटन निरस्तीकरण का अधिकार केवल जिला कलेक्टर को ही है, तहसीलदार जैतारण को कोई अधिकार नही होने से उक्त म्युटेशन संख्या 368 के जरिये अपीलांट के खातेदारी को निरस्त करने की जानकारी अपीलांट को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को विधि के प्रावधानो पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।'

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने आवंटन नियमो की शर्तो की पालना नही करने के कारण तहसीलदार जैतारण ने म्युटेशन संख्या 368 पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उक्त म्युटेशन संख्या 368 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश तथा म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4–8–88 जिसके द्वारा अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 368 जिसके द्वारा अपीलांट का नाम तहसीलदार जैतारण के आदेश से हटाते हुए अपीलांट को आवंटित भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज की गई, आदि का अवलोकन किया एवं इस न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का भी अवलोकन किया ।

ग्राम टुंकडा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 216 मे 20 बीघा किस्म गै.मु.भाकर भूमि अपीलांट को वन विकास के लिए वर्ष 1987 मे आवंटित की गई तथा अपीलांट के

पक्ष मे किये गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी का म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4–8–88 स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांट के पक्ष मे 25 वर्ष की लीज जारी की गई इसलिए म्युटेशन संख्या 347 अपीलांट के पक्ष मे लीजधारी के रूप मे स्वीकृत करना था।

निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि आवंटन नियमो मे शर्तो की पालना नही करने तथा लीज अवधि नही बढाने पर जिला कलेक्टर को नियम 18 के तहत आवंटन खारीज करने का अधिकार है । अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रकरण का समुचित परीक्षण कर न्यायिक निर्णय किया है तथा अपीलांट निजी वन विकास हेतु किये गये वृक्षारोपण व विकास कार्यो हेतु लिये ऋण लेने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा यह भूमि कब्जा काश्त के लिए नही होकर वन विकास के लिए लीज पर दी थी, जिसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है । वन विकास हेतु किये गये खर्चे की पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नही होती है, जो उसे मुआवजे के रूप मे दिया जाये ।

इसके अलावा अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नही करने तथा आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण नही करने पर अपीलांट के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त कर दिये जाने पर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 368 के जरिये भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज करने के जो आदेश तहसीलदार जैतारण ने पारित किये, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–6–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

4/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर